

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इक्वादाई

(ओ. 20 रु. 6-7 जाबा दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बालेसर(जोधपुर)

पीठासीन अधिकारी :- श्री रामजी भाई कलबी, आर.ए.एस.

वादीगण

1. बाबुराम पुत्र नगराम निवासी ग्राम सेखाला तहसील सेखाला जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. पपूराम पुत्र भैराराम
2. पारसराम पुत्र भैराराम
3. राजूराम पुत्र भैराराम
4. जसराम पुत्र भैराराम
5. बंशीलाल पुत्र भैराराम
6. मोहनराम पुत्र भैराराम
7. श्रीमती हीरोदेवी पत्नी भैराराम समस्त निवासी ग्राम सेखाला तहसील सेखाला जिला जोधपुर
8. भंवरीदेवी पुत्री भैराराम पत्नी अमराराम निवासी सेखाला हाल निवासी नोखा बीकानेर
9. विमलादेवी पुत्री भैराराम पत्नी जयराम निवासी सेखाला हाल निवासी सांगरिया जोधपुर
10. जेठीदेवी पुत्री भैराराम निवासी सेखाला हाल निवासी लोहावत जोधपुर
11. किसनाराम पुत्र नगराम
12. जगमालराम पुत्र नगराम
13. जेठाराम पुत्र प्रभुराम
14. धापूदेवी पत्नी प्रभुराम
15. रामेश्वरी पुत्री प्रभुराम निवासी सेखाला हाल निवासी लोहावत जोधपुर
16. वीरादेवी पुत्री प्रभुराम पत्नी लाभचंद निवासी सेखाला हाल निवासी लोहावत जोधपुर
17. सीमादेवी पुत्री प्रभुराम पत्नी हंसराज निवासी सेखाला हाल निवासी आउ जिला जोधपुर
18. सरकार जरिये तहसीलदार बालेसर जिला जोधपुर

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :-

वादी अधिवक्ता श्री जेठूसिंह उपस्थित।

प्रतिवादीगण 1, 13 के अधिवक्ता आवडदान उपस्थित।

प्रतिवादीगण 2, से 12 एवं 14 से 17 अनुपस्थित एक पक्षीय कार्यवाही।



मुकदमा नम्बर 30/2021

जीसीएमएस नम्बर :- 2021/97

निर्णय दिनांक :- 27/05/2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट (तहसीलदार सेखाला का पत्रांक भू.अ./2024/298 दिनांक 13.03.2024) पर एतराज प्रस्तुत नहीं किया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा हल्का पटवारी सेखाला एवं भू.अ. निरीक्षक सेखाला तहसील सेखाला की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2024 के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी करने हेतु निवेदन किया गया। हल्का पटवारी सेखाला एवं भू.अ. निरीक्षक सेखाला तहसील सेखाला की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2024 पर पत्रावली में किसी प्रकार का एतराज प्राप्त नहीं हुआ। अतः हल्का पटवारी सेखाला एवं भू.अ. निरीक्षक सेखाला तहसील सेखाला की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2024 के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार सेखाला को निर्देशित किया जाता है कि हल्का पटवारी सेखाला एवं भू.अ. निरीक्षक सेखाला तहसील सेखाला की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2024 के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड में वादग्रस्त आराजी का अंकन करे। हल्का पटवारी सेखाला एवं भू.अ. निरीक्षक सेखाला तहसील सेखाला की रिपोर्ट दिनांक 26.02.2024 आदेश का भाग माना जायेगा।

यह आज तारीख 27/05/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(रामजी भाई कलबी)
पीठासीन अधिकारी,
उपखण्ड अधिकारी,
एवं उपखण्ड अधिकारी,
बालेसर